**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2141**

**उत्तर देने की तारीख 04.07.2019**

**अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लघु और मध्यम उद्यमों का प्रोत्साहन**

**†2141. श्रीमती क्वीन ओझाः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की हिस्सेदारी करने के लिए असम में बांस, जूट तथा नारियल से संबंधित लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापार संवर्धन संस्थान गुवाहाटी में 'एन इंटरनेशनल बंबू कंवेंशन' जैसे व्यापारिक समारोहों को वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री नितिन गडकरी)**

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय परंपरागत उद्योगों तथा कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम में उत्पादन उपकरण का प्रतिस्थापन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है।

असम में दो बाँस स्फूर्ति क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं

| क्र. सं. | क्लस्टर का नाम | नाम/उत्पाद | नोडल एजेंसी | स्वीकृत राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | माजुलि हस्तशिल्प क्लस्टर, जोरहाट जिला | विशिष्ट हस्तशिल्प एंडी सिल्क एवं बाँस उत्पाद | भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी | 137.30 |
| 2. | बेचीमारी बाँस क्लस्टर, दरांग जिला | बेंत एवं बाँस | | 92.34 |

इसके अतिरिक्त, कयर विकास योजना कयर उद्योग की बहु विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के 'निर्यात बाजार संवर्धन' घटक के अंतर्गत इंटरवेंशनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, विदेश में उत्पाद एवं कैटलॉग शो/प्रचार का आयोजन करना, वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए लघु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात बाजार विकास सहायता स्कीम, आदि के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराना शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र उद्यमी स्कीम में निर्धारित पात्रता शर्तों एवं सहायता पैमाना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए स्थान किराया, हवाई जहाज किराया, माल प्रभार, आदि की प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) घरेलू बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार विकास के लिए अवसर सृजित कर नारियल के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन के लिए असम राज्य सहित देश में सभी स्तरों पर उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2009 को सार्वजनिक सूचना सं. 169 (आरई-2008)/2004-2009 को नारियल हस्क एवं फाइबर से बनाए गए उत्पादों को छोड़कर सभी नारियल उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् के रूप में नारियल विकास बोर्ड को अधिसूचित किया। नारियल उत्पादों के कुल 3854 निर्यातकों ने सीडीबी में पंजीकरण कराया है। वर्ष 2018-19 के दौरान नारियल एवं इसके मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात 2045.36 करोड़ रूपए का था।

पुनर्संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन (एनबीएम) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में शुरू किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित बजट 150.00 करोड़ रूपए है। यह क्लस्टर एप्रॉच मोड में रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रहण के लिए सुविधाओं के सृजन, एकीकरण, प्रोसेसिंग विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कौशल विकास एवं ब्रांड निर्माण पहल से लेकर उत्पादकों के साथ उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए बाँस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान देता है।

एनबीएम में निम्नलिखित इंटरवेंशनों के लिए प्रावधान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिस्से को प्रोत्साहित कर सकते हैं:

i) सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
ii) बाँस मंडी एवं ई-ट्रेडिंग का संवर्धन करना
iii) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण का आयोजन करना
iv) घरेलू व्यापार मेलों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, आदि में भागीदारी, ।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाँस मिशन मात्र उन इंटरवेंशनों की सहायता करता है जिन्हें एनबीएम के लिए परिचालन दिशा-निदेशों के अंतर्गत कवर किया जाता है जो अनुबंध के रूप में संलग्न है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसी ऐसे कार्यक्रम की सहायता नहीं करता है।

*******

**अनुबंध**

**दिनांक 04.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2141 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**लागत मानदण्ड एवं वित्तपोषण पैटर्न सहित इंटरवेंशन**

| **क्र. सं.** | **अनंतिम कार्यकलाप** | | **सांकेतिक इकाई लागत (उपरी सीमा) (रू.लाख में)** | **सहायता का पैटर्न** |
|---|---|---|---|---|
| **क** | **उपज एवं कृषि** | | | |
| 1. | सुदृढ़ीकरण सहित दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा बाँस नर्सरी (परियोजना आधारित) | i) हाई-टेक (2 हेक्टेयर)<br>ii) बड़ा (1 हेक्टेयर)<br>iii) लघु (0.5 हेक्टेयर) | 50<br>16<br>10 | क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी क्षेत्र की लागत का **100%** तथा निजी क्षेत्र की लागत का **50%** |
| 2. | बंजर भूमि सहित सरकारी/पंचायत/सामुदायिक भूमि पर उच्च घनत्व बाँस का वृक्षारोपण | | 3 वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर 1.00 लाख रूपए | 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की लागत का 100% और निजी क्षेत्र के लिए 2 हेक्टेयर तक लागत का 50% (-<3000 पौधे), 2-4 हेक्टेयर के लिए लागत का 20% (10000 पौधों तक) (50:30:20)। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10% सहायता। 4 हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अनुरक्षण निधियां कार्यनिष्पादन से जोड़ दी जाएगी (पैरा 10.2.4 के अनुसार उत्तरजीविता %) |
| 3. | किसानों के खेत में ब्लाक वृक्षारोपण/सीमा वृक्षारोपण | | प्रति हेक्टेयर 1.00 लाख रूपए (प्रति पौधा 240/-रूपए के समकक्ष) | 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की लागत का 100% एवं निजी क्षेत्र की लागत का 50% (50:30:20)। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10% सहायता<br><br>अनुरक्षण निधियां कार्य निष्पादन से जोड़ दी जाएगी (पैरा 10.2.4 के अनुसार उत्तरजीविता %) |
| **ख.** | **बाँस ट्रीटमेंट एवं संरक्षण का संवर्धन** | | | |
| 1. | बाँस ट्रीटमेंट एवं सिजनिंग संयंत्रों की स्थापना | सरकारी एवं निजी क्षेत्र में | 20 (परियोजना आधारित) | क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सांकेतिक लागत तक अधिकतम के अधीन सरकारी क्षेत्र की परियोजना लागत का 100% निजी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 50%। |
| 2. | कार्बनीकरण प्लांटों की स्थापना | निजी क्षेत्र में | 30 (पीबी) | -यथोपरि- |
| 3. | आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना | सरकारी/निजी क्षेत्र | 100 (पीबी) | केवल संयंत्र एवं मशीनरियों की खरीद के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सांकेतिक तक अधिकतम के अधीन सरकारी क्षेत्र की परियोजना लागत का 100%। परियोजना लागत का 50%। (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ग** | **उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण** | | | |
| 1. | बाँस के मूल्य वर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में) | क्रॉस कटिंग, स्लाइसिंग, स्प्लिटिंग, नॉट रिमूविंग, शेपिंग, आदि के लिए इकाई की स्थापना | 30 (पीबी) | क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सांकेतिक लागत तक अधिकतम के अधीन परियोजना लागत का सरकारी क्षेत्र के लिए 100% तथा निजी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%) |
| 2. | प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों में बाँस अपशिष्ट का प्रबंधन। | पिलेट्स एवं सक्रियित कार्बन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए | 25(पीबी) | -यथोपरि- |
| 3. | सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में) | हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग | 15 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | फर्नीचर निर्माण | 25 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | आभूषण निर्माण | 15 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | बाँस शूट्स प्रसंस्करण | 20 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | अगरबत्ती निर्माण | 25 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | फैब्रिक/फाइबर निष्कर्षण | 50 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) | 25 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | बाँस बोर्ड/चटाई/कॉरूगेटेड शीट्स/फ्लोर टाइल्स निर्माण | 200 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | जैव ऊर्जा निष्कर्षण | 200 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | सक्रियित कार्बन उत्पाद | 200 (पीबी) | -यथोपरि- |
| | | एथनॉल गैसिफायर | 500 (पीबी) | -यथोपरि- |
| **घ** | **बाँस बाजार के लिए असंरचना का संवर्धन एवं विकास** | | | |
| 1. | बाँस भंडारों एवं गोदामों की स्थापना | सरकारी /निजी क्षेत्र में | 50 (पीबी) | सरकारी क्षेत्र में लागत का 100%। सांकेतिक लागत तक अधिकतम के अधीन निजी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में 25% सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 33%) |
| 2. | बाँस मंडी (बाँस मार्केट स्थान) एवं ई-टेंडरिंग का संवर्धन | सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में | 100 (पीबी) | सरकारी क्षेत्र में लागत का 100% तथा सांकेतिक लागत तक अधिकतम के अधीन निजी क्षेत्रों में 25% सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 33% ) |
| 3. | ग्रामीण हाट | खुदरा प्रत्यक्ष विपणन | 20 (पीबी) | -यथोपरि- |
| 4. | बाँस बाजार | राज्य में प्रमुख स्थानों पर मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र | 15(पीबी) | -यथोपरि- |
| **ङ** | **टूल, उपकरण एवं मशीनरी का विकास** | | | |
| 1. | स्वदेशी टूलों, उपकरण एवं मशीनरी की प्रौद्योगिकीय वृद्धि | | परियोजना आधारित | डिजाइन के विकास के लिए सरकारी संस्थाओं को 100% अनुदान आदि तथा 50% उन मशीन निर्माण इकाइयों को जो इन मशीनों को विकसिक कर रहे हैं, 50% अनुदान। |
| 2. | सामान्य सुविधा केन्द्र में प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठ टूल, उपकरण एवं मशीनरी का आयात | | -यथोपरि- | -यथोपरि- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **च. कौशल विकास एवं जागरूकता अभियान (आबंटन के 5%तक)** | | | | |
| | i) आगामी प्रौद्योगिकियों/उद्यमी प्रशिक्षण में किसानों/कारीगरों/क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/बाँस क्षेत्र में किसान एवं उद्यमी सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/एनबीएम स्टाफ/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के एक्सपोजर के लिए दौरा | | परियोजना आधार | प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000/- रूपए लागत का 100% या सरकारी संस्थान की अनुमोदित दरों के अनुसार। |
| | ii) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/ जिला स्तर पर कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण आयोजित करना | | परियोजना आधारित | सरकार के लिए 100% |
| | iii) भाग लेने वाले कारीगरों की यात्रा+भोजन/आवास सहित घरेलू व्यापार मेलों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी आदि में भाग लेना | | परियोजना आधारित | -यथोपरि- |
| **छ. अनुसंधान और विकास (आबंटन के 10%तक)** | | | | |
| 1 | आनुवंशिक श्रेष्ठ प्रजातियों/विविधताओं की पहचान | | | |
| 2 | चिन्हित प्रजातियों/विविधताओं की उपज को मजबूत करने+क्षेत्रीय परीक्षण सहित टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना | परियोजना आधारित | | निजी क्षेत्र के लिए 10 लाख तक<br>सरकारी संगठन के लिए 100% |
| 3 | किसानों को सर्वोत्तम पद्धति को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन प्लॉट | | | |
| 4 | इंक्यूबेशन केन्द्र | | | |
| 5 | बाँस बाजार अनुसंधान | | | |
| **ज. परियोजना प्रबंधन (आबंटन के 5%तक)** | | | | |
| | परियोजना प्रबंधन आकस्मिकता मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन | प्रस्ताव आधारित | 5% तक | 100% |

<u>नोट</u>: प्रस्तावित वित्त-पोषण पैटर्न पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों जहां यह 90:10 की निधि की हिस्सेदारी होगी तथा संघ राज्य क्षेत्रों/बीटीएसजी (विद्यमान) के मामले में 100% होगी, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केन्द्र : राज्य सरकारों के बीच 60:40 है। यदि किसी विशिष्ट परियोजना/इंटरवेंशन के लिए एनबीएम (मुख्यालय) द्वारा किसी केन्द्रीय संस्था को निधियां सीधे जारी की जाती हैं तो निधिपोषण 100% केन्द्रीय हिस्सा होगा।